न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 39/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/59

प्रार्थीगण

1.आसूराम पुत्र मोटाराम

2.जयरूपाराम पुत्र मोटाराम

जाति जाट निवासी सारणों की बेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.भैराराम पुत्र धुड़ाराम

2.सोनाराम पुत्र भीयाराम

3.पुराराम पुत्र भीयाराम

4.हीराराम पुत्र गुमनाराम

5.भंवरी पत्नि गुमनाराम

6.हराराम पुत्र घुड़ाराम

7.पेमाराम पुत्र राणाराम

8.मानाराम पुत्र रताराम

9.भीखाराम पुत्र रताराम

10.मगाराम पुत्र चेनाराम

11.सोनाराम पुत्र अमराराम

12.चूनाराम पुत्र अमराराम

13.पुनमाराम पुत्र दमाराम

14.गुणाराम पुत्र दमाराम

15.गंगाराम पुत्र दमाराम

16.रमेश पुत्र दामाराम

17.भोमाराम पुत्र रूगाराम

18.केहराराम पुत्र खेमाराम

19.करनाराम पुत्र पदमाराम

20.जेठाराम पुत्र राणाराम

21.चिमाराम पुत्र गोकलाराम

22.पूराराम पुत्र गोकलाराम

23.रूगाराम पुत्र रूपाराम

24.बाबुराम पुत्र रूपाराम

25.भंवरलाल पुत्र वोहताराम

26.रेवताराम पुत्र वोहताराम

27.सवाईराम पुत्र कालूराम

28.पुनमाराम पुत्र कालूराम

29.हरचंदराम पुत्र डालूराम

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

30.जसराज पुत्र डालूराम
31.पुरखाराम पुत्र डालूराम
32.मालाराम पुत्र दीपाराम
33.धनणी पत्नि डालूराम
34.गैनी पत्नि पदमाराम
35.कमलेश पुत्र देवाराम
36.नरेश पुत्र देवाराम
37.भंवरी पत्नि देवाराम जाति जाट निवासी सारणों की बेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी
38.मलसिंह पुत्र पनेसिंह जाति राजपूत निवासी सारणों की बेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 व 4
3.विप्रार्थी संख्या 1,2 व 5 से 38 एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * बालोतरा * (Raj.)

आदेश

दिनांक 21/07/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सारणो की बेरी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 884/227 रकबा 59.06 बीघा भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सारणो की बेरी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 884/227 रकबा 59.06 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री लाधूराम चौधरी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से वकालतनामा कर जवाब पेश किया गया तथा प्रार्थीगण के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया। शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें दोनो पक्षो अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सारणो की बेरी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 884/227 रकबा 59.06 बीघा भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सारणो की बेरी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 884/227 रकबा 59.06 बीघा भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4. विप्रार्थी संख्या 3 व 4 अधिवक्ता नें वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यो के आधार पर होने के कारण चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण व विप्रार्थी के मध्य सीमाओं को लेकर कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी की ओर से कभी दखलदान्जी नही की गई है,जबकि इसके विपरीत प्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी को परेशान किया जा रहा है तथा विवादित आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट भी एकपक्षीय प्रार्थीगण की ओर से तैयार की गई है। प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व मे भी बिना सीमाज्ञान करवाए न्यायालय श्री में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था,जो मुकदमा संख्या 95/2022 पर दर्ज होकर दिनांक 06.9.2022 को खारिज कर निर्णीत किया गया था,उसके पश्चात प्रार्थीगण के द्वारा हलका पटवारी से मिलीभगत करते हुए फर्जी सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। अतं प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सारणो की बेरी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 884/227 रकबा 59.06 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2074–2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 16.11.2022 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सारणो की बेरी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 884/227 रकबा 59.06 बीघा भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21/02/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा